

कायरलय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढवाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ८३६ /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ०१।१२।४

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- ५६०० /उप्राशिप / एल०टी०भर्टी / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१३३३/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स./२०१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्कृति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-०९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तराधायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-हिन्दी (शाखा:-सामान्य)

क्र.सं.	चयन सूची का क्रमांक/तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	५१/ २०.०९.२०१८	श्री रमेश सिंह पुत्र श्री भरत सिंह, ग्राम- जगतोली, निकट- पी.डब्लू.डी., पो.ओ.- रुद्रप्रयाग, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- २४६१७१	०१.१०.१९८१	सामान्य	-	११२.५०	रा.प्रा.वि. पिलोडा, रुद्रप्रयाग	रा.उ.मा.वि. रांसी (ऊखीमठ) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

30.11.18
(महावीर सिंह विट्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)

गढवाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ १२३१९-३० /३क(२)नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
६. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.)।
७. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
८. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
९. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
१०. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
११. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में हिन्दी विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम)..... पदनाम..... विद्यालय का नाम.....
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभौति जांच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.
पद..... विषय..... को दिनांक के पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह० संस्थाध्यक्ष

नाम—

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, रस्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक
 अध्यापक, विद्यालय का नाम..... एतद द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन / विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह०

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह० एवं सील संस्थाध्यक्ष

कायालिय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/
आदेश संख्या/ सेवा.अराज./ ८३७ /३क(२)/ नियुक्ति (१० प्रति.)/ २०१८-१९/ दिनांक ५०।।२।।४

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या— ५६०० /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/ १३३३ /उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स./ २०१८-१९/ दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या—०९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरादायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-अंग्रेजी शाखा:-सामान्य)

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	५३/ २०.०९.२०१८	श्री कपूर सिंह पुत्र श्री रुक्मि सिंह, पौ०आ००- ममनी, विकासखण्ड— जखोली, वाया— तिलवाडा, जनपद— रुद्रप्रयाग, पिन कोड— २४६१७६	०१.०३.१९८०	सामान्य	—	९७.००	रा.प्रा.वि. लुठियाग, रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. जयन्ती कोठियाडा (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह विष्ट २०.११.१८
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)

गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/ सेवा.अराज./ १२३३१ - ५० /३क(२)नियुक्ति (६० प्रति.)/ २०१८-१९/ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
६. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा. / बे.)।
७. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
८. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/ पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
९. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
१०. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
११. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।

12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गणित विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभांति जॉच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु0.....पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह0संस्थाध्यक्ष

नाम—
पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वारूप्य प्रमाण-पत्र, रसायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि ”मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिष्ट)

मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.सि.)

मण्डवाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संस्थाध्यक्ष

कायलिय- मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढवाल मण्डल पौड़ी/
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ८३८ /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक ०१।१२।१४

विज्ञाप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में निहित प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- ५६०० /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/ १३३३ /उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स./२०१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-०९ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:-गणित शाखा:-सामान्य)

क्र.सं	चयन सूची का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उप श्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
१	५५/ २०.०९.२०१८ श्री केदार सिंह रौतेला पुत्र श्री पूरन सिंह रौतेला, जवाहरनगर (नगला), सैकटर-बी, नई कालौनी, पो.ओ.-डेरी फार्म नगला (पन्तनगर) जनपद- उधमसिंहनगर, पिन कोड- २६३१४९	०१.०५.१९८२	सामान्य	-	१०४.५०	रा.प्रा.वि. विरलगांव तल्ला, अल्मोड़ा	रा.इ.का. साकिनखेत (कल्जीखाल) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	
२	५६/ २०.०९.२०१८ श्री चन्द्र शेखर छिम्बाल पुत्र श्री भुवन चन्द्र छिम्बाल, कोटद्वार रोड, विपिन विहार, रामनगर, जनपद- नैनीताल, पिन कोड- २४४७१५	१५.०६.१९८५	सामान्य	-	१०४.२५	रा.प्रा.वि. सुनकिया, नैनीताल	रा.इ.का. रिक्साल (थलीसैंण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	
३	५९/ २०.०९.२०१८ श्री गणेश सिंह कार्की पुत्र श्री गोविन्द सिंह कार्की, म.न.-२१, ग्राम- गुढोली, पो.ओ.-मनेला, तह.- रानीखेत, जनपद- अल्मोड़ा, पिन कोड- २६३६४५	०८.०८.१९८२	सामान्य	-	१०३.५०	रा.प्रा.वि. दूना, अल्मोड़ा	रा.इ.का. ल्वाणी (देवाल) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	
४	६०/ २०.०९.२०१८ श्री नवल आर्या पुत्र श्री डुंगर राम आर्या, ग्राम- कठायतबाडा, दांगड़, पो.ओ.-बागेश्वर, जनपद- बागेश्वर, पिन कोड- २६३६४२	१०.०७.१९८२	अनु.जाति	-	७६.७५	रा.प्रा.वि. गौरीउडियार, बागेश्वर	रा.इ.का. मींग (नारायणबगड़), चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	
५	६१/ २०.०९.२०१८ श्री अनूप कुमार पुत्र श्री आशा लाल, ग्राम- जखोली, पो.ओ.- जखोली, जनपद- रुद्रप्रयाग पिन कोड- २४६१४१	१५.१०.१९८१	अनु.जाति	-	७६.००	रा.प्रा.वि. गेठाणा (बांगर) रुद्रप्रयाग	रा.उ.मा.वि. निलाड़ी (नारायणबगड़) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक,(मा.शि.)
गढवाल मण्डल पौड़ी।

प्रतिलिपि :— निर्मांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
2. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून ।
4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद ।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी ।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.) ।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) ।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त / पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय ।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद ।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें ।
11. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.)को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) ।
12. सम्बन्धित संरक्षण को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में गणित विषय हेतु विहित अहंता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यूटी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय । साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें । सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय । किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय । यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें ।

प्रमाण पत्र

मैं (संरक्षण का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभौति जांच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.
पद.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह० संरक्षण

नाम—

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के १५ दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संरक्षण प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, रक्तायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संरक्षण जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा भा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति ।

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0एवं सील संरक्षाध्यक्ष

कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ८५० /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२.१८-१९/दिनांक ०।।१२।।१४
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में निहित प्राविधिकाओं के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- ५६००/उप्राशिप / एल.टी. भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (थथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१३३३/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं. /२.१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ. एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान ४४९००-१४२४०० वेतन मैट्रिक्स में स्तर ०७) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-११ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। औपबन्धिक श्रेणी के अभ्यर्थियों को आपत्ति/औपबन्धन समाप्ति के उपरान्त पृथक से नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तराधायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

शाखा-सामान्य											
क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/तिथि	विषय	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण	औप. का कारण
१	२	३	४	५	७	८	९	१.	११	१२	
१	५४/ २०.०९.२०१८	गणित	श्री शंकर सिंह खाती पुत्र श्री पदम सिंह खाती, ग्राम व पो.ओ. – मल्लागर्खा, तह.- गंगोलीहाट, जनपद- पिथौरागढ़, पिन कोड- २६२५२२	०२.०९.१९७९	सामान्य		१०५.२५	रा.प्रा.वि. सिरसोती, पिथौरागढ़	रा.उ.मा.वि. मानमती (देवाल) चमोली	स.अ.एल.टी. विज्ञान में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण का सत्यापन

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प०स०/सेवा.अराज./ १२३८१-९९

/३क(२)नियुक्ति (६० प्रति.)/२०१८-१९/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
६. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.)।
७. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
८. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
९. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
१०. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
११. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
१२. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ में गणित विषय हेतु विहित अहता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यूटी.ई.टी.-२ अथवा सी.टी.ई.टी.-२ उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्वाग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। समस्त अभिलेखों की जाचोंपरान्त सम्बन्धित अध्यापक को विद्यालय में उपलब्ध सहायक अध्यापक एल.टी. विज्ञान विषय में उपलब्ध रिक्त पद के प्रति अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
 ...एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण—पत्रों की भलीभौति जाँच कर ली गयी है तथा
 समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु... पद
विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपराह्न में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह०संस्थाध्यक्ष

नाम—

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सेट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण—पत्र, स्थायी निवास प्रमाण—पत्र, जाति प्रमाण—पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण—पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण—पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण—पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण—पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि ”मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद प्रमाण—पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट— किसी भी अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण—पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण—करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह विठ्ठल)
 30-11-08
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.श.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध—पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक अध्यापक,
 विद्यालय का नाम.....एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी
 स्थानान्तरण नीति का पालन करुंगा / करुंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

ह०

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह०एवं सील संस्थाध्यक्ष

कार्यालय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा०शि०) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ७३१ / ३क(२)/नियुक्ति (10 प्रति.)/2018-19/दिनांक ११।१२।१४

विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में निहित प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या- 5600 /उप्राशिप / एल०टी०भर्ती / 2014 दिनांक 23-02-2014 (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/1333/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.सं./2018-19/दिनांक 20.09.2018 द्वारा 10 प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्तुति के आधार पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को स.अ.एल.टी. स्नातक वेतनक्रम (वेतनमान 44900-142400 वेतन मैट्रिक्स में स्तर 07) के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुये उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ संख्या-09 में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों से सत्यापन किया गया है तथापि भविष्य में प्रमाण पत्रों में कोई संदिग्धता पायी जाती है तो उक्त अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जोयेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अभ्यर्थी का होगा।

विषय:- सामाजिक विज्ञान शाखा:- सामान्य)

क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक/ तिथि	अभ्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	63/ 20.09.2018	श्री महिपाल सिंह नेगी पुत्र श्री राय सिंह नेगी, ग्राम व पो. ओ.- गडगू वाया- ऊखीमठ, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- 246469	25.08.1981	सामान्य	-	127.50	रा.प्रा.वि. डुंगर, रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. बावई (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
2	64/ 20.09.2018	सरिता रौथाण पुत्री श्री आनन्द सिंह, ग्राम व पो.- बिनक म.न.- 1, वाया- भृगुखाल, यमकेश्वर, जनपद- पौड़ी गढ़वाल पिन कोड- 246121	26.11.1984	सामान्य	महिला	100.00	रा.प्रा.वि. हीराखाल, पौड़ी	रा.उ.मा.वि. कोटा (यमकेश्वर) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति
3	65/ 20.09.2018	श्रीमती सरिता खत्री पत्नी श्री अशोक खत्री, मन्दिर मार्ग, पो. ओ.- अगस्त्यमुनि, जनपद- रुद्रप्रयाग, पिन कोड- 246421	15.5.1975	सामान्य	महिला	99.75	रा.प्रा.वि. मालसी, रुद्रप्रयाग	रा.इ.का. किमाणा (जखोली) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति

(महावीर सिंह बिष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

पृ०सं०/सेवा.अराज./ १२३६१- ८० / ३क(२)नियुक्ति (10 प्रति.)/2018-19/दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।

4. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
5. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
6. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.)।
7. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
8. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
9. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
10. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
11. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
12. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-2014 एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-2014 में सामाजिक विज्ञान विषय हेतु विहित अर्हता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-2 अथवा सी.टी.ई.टी.-2 उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

में (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभूति जाँच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

ह० संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

13. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के 15 दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सेट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की रिस्ति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि “मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है”, का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

14. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिट्ट)
 मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
 गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अभ्यर्थी का नाम.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री.....सहायक
अध्यापक, विद्यालय का नाम.....एतद द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त
शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति का पालन करेंगा / करेंगी एवं अपने सभी सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु
आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगा / करेंगी।

ह0

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित

ह0 एवं सील संरथाध्यक्ष

कायालिय— मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (मा.शि.) गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
आदेश संख्या/सेवा.अराज./ ८५। /३क(२)/नियुक्ति (१० प्रति.)/२.१८-१९/दिनांक ०।।१।।४
विज्ञप्ति/नियुक्ति

उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली—२.१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली—२०१४ में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सचिव प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के विज्ञापन संख्या—५६००/उप्राशिप / एल.टी.भर्ती / २०१४ दिनांक २३-०२-२०१४ (यथासंशोधित) के क्रम में सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद के पत्रांक/१३३३/उप्राशिप/एल.टी.भ.च.स. /२.१८-१९/दिनांक २०.०९.२०१८ द्वारा १० प्रतिशत विभागीय लिखित परीक्षा के अन्तर्गत प्रदत्त चयन संस्कृति के आधार पर निम्नांकित अध्यर्थियों को स.अ. संख्या—११ में अंकित विद्यालय में पदस्थापित किया जाता है। यह नियुक्ति नितान्त अस्थायी है एवं दो वर्ष की अवधि के लिए परियोक्षाधीन रहेगी और किसी भी समय दोनों ओर से एक माह के नोटिस अथवा उसके बदले एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकती है। औपचारिक श्रेणी के अध्यर्थियों को आपत्ति/औपचारिक समाप्ति के उपरान्त पृथक से नियुक्ति आदेश निर्गत किये जायेंगे। यद्यपि उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध है तो उक्त अध्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तराधायित्व सम्बन्धित अध्यर्थों का होगा।

शाखा-सामान्य											
क्र.सं	चयन सूची का क्रमांक / तिथि	विषय	अध्यर्थी का नाम / पिता / पति का नाम एवं पता	जन्म तिथि	जाति	उपश्रेणी	गुणांक	कार्यरत विद्यालय	पदस्थापित विद्यालय	अन्य विवरण	औप. का कारण
1	2	3	4	5	7	8	9	1.	11	12	
1	४९/ २०.०९.२०१८	हिन्दी	श्री भगत सिंह रावत पुत्र श्री उमरांश सिंह रावत, ग्राम— कुशियाचौन (मल्ला), पो.ओ.— बवाडी किचार, क्षेत्र— स्यालदे, तह— सल्ट मौलेखाल, जनपद— अल्मोड़ा, पिन कोड— २६३६६५	०७.०५.१९८०	सामान्य	—	११३.२५	रा.प्रा.वि. नगरकोटिया, अल्मोड़ा	रा.इ.का. कुराड (थराली) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
2	५०/ २०.०९.२०१८	हिन्दी	श्री लक्ष्मी दत्त पुत्र श्री टीका राम, ग्राम— बर्खाडी, पो.ओ.— सॉगो, वाया— पाटी, जनपद— चम्पावत, पिन कोड— २६२५६१	०३.०२.१९७९	सामान्य	—	११२.५०	रा.प्रा.वि. पोखरी, चम्पावत	रा.इ.का. नैलखन्सर (गैरसैंग) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	स्नातक उपाधि का सत्यापन
3	५२/ २०.०९.२०१८	हिन्दी	श्री किशोरी मिस्त्री पुत्र श्री फत्ती मिस्त्री, ग्राम— उमरी (डुँगटा) पो.ओ.— हिंसरियाखाल, वाया— भल्लेगांव, जनपद— टिहरी गढ़वाल, पिन कोड— २४९१२६	०१.०७.१९८२	अनु.जा.	—	९९.००	रा.प्रा.वि. कुण्डी, बणसू, टिहरी	रा.इ.का. टैंठी (अगस्त्यमुनि) रुद्रप्रयाग	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	मिन्न-मिन्न नामांकन संख्या का सत्यापन
4	५७/ २०.०९.२०१८	गणित	श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री लच्छम सिंह, ग्राम— नौगांव, पो.ओ.— नैल (मटेला) पटटी—तल्ला चकोट, जनपद— अल्मोड़ा, पिन कोड— २६३६६५	०२.०३.१९८३	सामान्य		१०३.७५	रा.प्रा.वि. चमकना, अल्मोड़ा	रा.उ.मा.वि. कनोल (घाट) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
5	५८/ २०.०९.२०१८	गणित	श्री योगेश चन्द्र पाण्डे पुत्र श्री दिनेश चन्द्र पाण्डे, ग्राम व पो.ओ.— फरसाली, तह— कपकोट, जनपद— बागेश्वर, पिन कोड— २६३६७९	११.०७.१९८७	सामान्य		१०३.७५	रा.प्रा.वि. महरगाड़ी, बागेश्वर	रा.इ.का. मुन्दोली (देवाल) चमोली	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन
6	६२/ २०.०९.२०१८	विज्ञान	श्री विनोद कुमार बड़वाल पुत्र श्री शेखरा नन्द, केयर आफ— रावत सीनेट्री हाऊस पुलिस थाना के सामने, पो.ओ.—रानी पोखरी, जनपद— देहरादून, पिन कोड— २४८१४५	०७.०३.१९७१	सामान्य	—	१००.५०	रा.प्रा.वि. थापला, पौड़ी	रा.इ.का. खण्डमल्ला (थलीसैंण) पौड़ी	उपलब्ध रिक्त पद के प्रति	प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का सत्यापन

(महावीर सिंह बिट्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. सचिव, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
२. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
३. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
४. सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद।
५. सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी।
६. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मा./बे.)।
७. सम्बन्धित वित्त एवं लेखाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)।
८. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को इस आशय के साथ कि नियुक्त/पदस्थापित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अंकित होने के उपरान्त ही सम्बन्धित का वेतन आहरण किया जाय।
९. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित जनपद।
१०. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) इस निर्देश कि साथ कि सम्बन्धित अभ्यर्थियों का सेवा विवरण ई.पोर्टल पर अपडेट करना सुनिश्चित करें।
११. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) को (सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)।
१२. सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यदि अभ्यर्थी का विषय संयोजन उत्तराखण्ड, अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा नियमावली-२०१४ एवं उत्तराखण्ड अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (संशोधन) सेवा नियमावली-२०१४ में स्तम्भ-०३ में अंकित विषय हेतु विहित अहंता (विद्यालयी शिक्षा की वेबसाईट पर उपलब्ध है) के अनुरूप न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी की प्रशिक्षण योग्यता एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त न हो / सम्बन्धित अभ्यर्थी यू.टी.ई.टी.-२ अथवा सी.टी.ई.टी.-२ उत्तीर्ण न हो, तो अभ्यर्थी को कदापि कार्यभार ग्रहण न कराया जाय। साथ ही सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल अभिलेखों / शैक्षिक तथा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियां अपने कार्यालय अभिलेखों में सुरक्षित रखें। सम्बन्धित अभ्यर्थी के पूर्व से राजकीय सेवा/अशासकीय सेवा में कार्यरत होने की दशा में विधिवत अनुमति प्राप्त कर अथवा नियमानुसार त्याग पत्र स्वीकृत किये जाने पर ही उन्हें पदस्थापित विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कराया जाय। किसी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें तथा सम्बन्धित के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना उसी दिन पंजीकृत डाक से अधोहस्ताक्षरी एवं सम्बन्धित अधिकारियों को निम्न प्रारूप पर उपलब्ध करायी जाय। यदि विद्यालय में मानकानुसार Rationalization से अध्यापकों की आवश्यकता न हो तो पद रिक्त होने पर भी कदापि कार्यभार ग्रहण न करायें।

प्रमाण पत्र

मैं (संस्थाध्यक्ष का नाम).....पदनाम.....विद्यालय का नाम.....
...एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा सम्बन्धित अध्यापक के समस्त शैक्षिक / प्रशिक्षण प्रमाण-पत्रों की भलीभांति जांच कर ली गयी है तथा समस्त वांछित दस्तावेज प्राप्त कर लिए हैं। तदोपरान्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी श्री / श्रीमती / कु.पद.....पद
.....विषय.....को दिनांकके पूर्वान्ह / अपरान्ह में कार्यभार ग्रहण करा दिया है।

४० संस्थाध्यक्ष

नाम-

पदनाम एवं सील

१३. सम्बन्धित अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी को इस निर्देश के साथ कि वे इस आदेश के निर्गत होने के १५ दिन के अन्तर्गत अपने तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें। यदि निर्धारित अवधि के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है, तो यह नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी द्वारा सम्बन्धित संस्था प्रधान के सम्मुख नियुक्ति आदेश के साथ अपने समस्त शैक्षिक / अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति (दो सैट प्रमाणित छायाप्रति), स्वयं के दो पासपोर्ट साइज के दो प्रमाणित फोटो, मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र अन्य आरक्षित श्रेणी होने की दशा में वांछित प्रमाण-पत्र, दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, उत्तराखण्ड के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने की तिथि से पूर्व का पंजीकरण / नवीनीकरण प्रमाण-पत्र, अन्तिम संस्था जहाँ से शिक्षा प्राप्त की हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र, विवाहित होने की स्थिति में एक ही जीवित पत्नी / पति होने का प्रमाण-पत्र, संघ / राज्य सरकार की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण-पत्र एवं इस आशय की घोषणा पत्र कि "मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई भी वाद विचाराधीन नहीं है, न ही मेरे द्वारा मा. न्यायालय में कोई वाद योजित किया गया है, और न ही मुझे किसी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है", का प्रमाण-पत्र संस्थाध्यक्ष को प्रस्तुत करना हेगा। (पंजीकृत)

नोट- किसी भी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थिनी के शैक्षिक / प्रशिक्षण / जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्रों का भौतिक सत्यापन में किसी भी प्रकार की विसंगति / अनियमितता पाये जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जायेगी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा। अभ्यर्थी / अभ्यर्थिनी कार्यभार ग्रहण-करने के समय इस आशय का अनुबन्ध पत्र भी निम्न प्रारूप पर प्रस्तुत करना होगा।

१४. कार्यालय प्रति।

(महावीर सिंह बिट्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक, (मा.शि.)
गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

अनुबन्ध-पत्र

मैं अर्थर्थी का नाम..... पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री..... सहायक अध्यापक, विद्यालय
का नाम..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त शासन/विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति
का पालन करुगां / करुंगी एवं अपने सभे सम्बन्धियों के माध्यम से स्थानान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करुंगा / करुंगी।

६०

नाम—

पदनाम एवं विद्यालय का नाम

प्रतिहस्ताक्षरित
६०एवं सील संस्थाध्यक्ष